न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी: श्रीमति रीना {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :68/2018

1. संदीप कौर पत्नी कुलदीप सिंह पुत्री अवतार सिंह जाति कम्बोसिख निवासी चक 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी गांव 6 टी. के. तहसील रायसिंहनगर।

--वादिया--

बनाम

1. कुलदीप सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति कम्बोसिख निवासी चक 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

--प्रतिवादीगण--

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए

--निर्णय--दिनांक : 28/3/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 का विवाह दिनांक 07.10.2009 को सम्पन्न हुआ था। वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 के आपस मे विचार ना मिलने के कारण मतभेद इतना बढ गया कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने मध्य हुए विवाह दिनांक 07.10.2009 को जरिये डिक्री दिनांक 19.03.2014 को विखण्डित करवा लिया। चक 24 एफ की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 8/10 के मु0 न0 3, 6, 12, 54, 58, 59, 60, 68/21 कुल 10.800 है0 नहरी मय खाला भूमि मे से 10.250 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। परिवारिक न्यायालय श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 19.03.2014 से आदेशित किया कि वादीया ने स्थाई भरण पोषण हेतू कुलदीप सिह 1/3 हिस्सा की भूमि अर्थात 15 बीघा यानि 3.795 हैक्टर भूमि का कब्जा कुलदीप सिह से प्राप्त कर लिया है कुलदीप सिह के द्वारा चक 24 एफ मे स्थित अपनी खातेदारी भूमि मे से 3.795 हैक्टर भूमि वादीया को देकर इस भूमि के तमाम अधिकार वादिया को सौप कर कब्जा वादीया को दे दिया जिसे वादीया अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने की अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादिया के स्थाई भरण पोषण हेतु उक्त खातेदारी भूमि मे से चक 24 एफ के मु0न0 58 के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक के 0.253 है0, किला न0 5, 6 प्रत्येक 0.228 है0, किला न0 7/2 के 0.051 है0, किला न0 14 के 0.051 है0, किला न0 15, 16 प्रत्येक के 0.228 है0, किला न0 17/2 के 0.051 है0, किला न0 24/1 के 0.050 है0, किला न0 25 के 0.164 है0 कुल 2.291 है0 नहरी व मु0 न0 59 के किला न0 15 के 0.167 है0 नहरी व मु0 न0 60 किला न0 1 ता 3 प्रत्येक के 0.189 है0, किला न0 4 के 0.089 है0, किला न0 8 के 0.050 है0, किला न0 9 के 0.214 है0, किला न0 10 के 0.253 है0, किला न0 11 के 0.151 है0, किला न0 12 के 0.013 है0 कुल 1.337 है0 इस प्रकार से कुल 3.795 है0 भूमि का कब्जा वादिया को सौंप कर तमाम हक वादीया को सौप दिये जिस पर वादीया का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। वादिया उक्त 3.795 है0 भूमि को अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा पाने की अधिकारी है तथा दावा ला पाने की अधिकारी है। दावा दायरी से दो रोज पूर्व वादिया प्रतिवादीगण से मिली तथा उन्हें उक्त 15 बीघा वादिया के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाने के लिए कहा तो उन्होने इंकार कर दिया। यही वाद कारण है। समस्त आराजी राजस्थान सरकार मे निहित हो चुकी है इसलिए राजस्थान सरकार को जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को उक्त मुकदमा मे बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। दावा श्रीमान जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है एवं पूर्ण कोर्ट फीर पर अंदर मियाद पेश है। अतः दावा वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे- परिवारिक न्यायालय श्रीगंगानगर के आदेश व डिक्री दिनांक 19.03.2014 की रूह से वादिया को चक 24 एफ के मु0न0 58 के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक के 0.253 है0, किल न0 5, 6 प्रत्येक 0.228 है0, किला न0 7/2 के 0.051 है0, किला न0 14 के 0.051 है0, किला न0 15, 16 प्रत्येक के 0.228 है0, किला न0 17/2 के 0.051 है0, किला न0 24/1 के 0.050 है0, किला न0 25 के 0.164 है0 कुल 2.291 है0 नहरी व मु0 न0 59 के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

ता न0 15 के 0.167 है0 नहरी व मु0 न0 60 के किला न0 1 ता 3 प्रत्येक के 0.189 है0, किला न0 4 के 0.089 है0, किला न0 8 के 0.050 है0, किला न0 9 के 0.214 है0, किला न0 10 के 0.253 है0, किला न0 11 के 0.151 है0, किला न0 12 के 0.013 है0 कुल 1.337 है0 इस प्रकार से कुल 3.795 है0 यानि कि 15 बीघा भूमि का खातेदार मालिक घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे एवं अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे वह भी प्रतिवादी से वादिया को दिलाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 कुलदीप सिंह की ओर से अधिवक्ता मनजीत सिंह कचूरा उपस्थित आए एवं जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि यदि वाद डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई उज्र व एतराज नही है। जवाब दावा की नकल वादिया अधिवक्ता को दिलाई गई। जवाब स्टेट प्रस्तुत नही होने पर बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जवाब दावा सहमति का पेश किया गया, इसलिए वाद विन्दु कायम नही किये गए। वादिया के द्वारा शपथ पत्र बाबत साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। ब्यान लिखे गये। साक्ष्य मे वादीया के द्वारा चक 24 एफ की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 8/10 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-1 माननीय परिवारिक न्यायालय श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 290/2014 के निर्णय मय डिक्री दिनांक 19.03.2014 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-2, प्रदर्शित करवाई। साक्ष्य मे वादीया ने जाहिर किया कि वादगत भूमि पर उसका कब्जा काश्त इस डिक्री की रूह से शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वाद पत्र के संबंध मे तहसीलदार श्रीकरणपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो कि पत्र क्रमांक 367 दिनांक 19.02.2019 से प्राप्त हुई।

बहस सुनी गई। वकील वादी के द्वारा अपनी बहस मे वाद पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये वाद पत्र स्वीकार हेतू निवेदन किया। वकील प्रतिवादी के द्वारा वाद पत्र पर अपनी सहमति दी गई।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादीया माननीय परिवारिक न्यायालय श्रीगंगानगर के आदेश व डिक्री दिनांक 19.03.2014 की रूह से प्रतिवादी कुलदीप सिह से प्राप्त 3.795 हैक्टर भूमि को अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है जिस पर प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत सहमति जवाब दावा के आधार पर वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 24 एफ के मु0न0 58 के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक के 0.253 है0, किाल न0 5, 6 प्रत्येक 0.228 है0, किला न0 7/2 के 0.051 है0, किला न0 14 के 0.051 है0, किला न0 15, 16 प्रत्येक के 0.228 है0, किला न0 17/2 के 0.051 है0, किला न0 24/1 के 0.050 है0, किला न0 25 के 0.164 है0 कुल 2.291 है0 नहरी व मु0 न0 59 के किला न0 15 के 0.167 है0 नहरी व मु0 न0 60 के किला न0 1 ता 3 प्रत्येक के 0.189 है0, किला न0 4 के 0.089 है0, किला न0 8 के 0.050 है0, किला न0 9 के 0.214 है0, किला न0 10 के 0.253 है0, किला न0 11 के 0.151 है0, किला न0 12 के 0.013 है0 कुल 1.337 है0 इस प्रकार से कुल 3.795 है0 यानि कि 15 बीघा भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जाता है। **वादिया के नाम भूमि का उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। इस संबंध मे यदि किसी अन्य न्यायालय का काई आदेश या स्थगन आदेश हो तो उसकी पालना की जावे। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।** पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/3/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{श्रीमती रीना आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner